न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 20/2020

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

मनेष बेडा पुत्र शैतानराम जाति जाट
निवासी ग्वालू तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

नायब तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री गोपाल गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 26.10.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 238/2020 सरकार बनाम मनेष बेडा में निर्णय दिनांक 03.06.2020 के तहत मौजा ग्वालू के खसरा नं. 342 गै.मु. बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.07.2020 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 238/2020 सरकार बनाम मनेष बेडा मे पारित निर्णय दिनांक 03.06.2020 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, प्रकरण सं. 238/20 के फर्द अहकाम दिनांक 2.3.20 से 3.6.20 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को प्रकरण का नोटिस मिलने पर दिनांक 18.3.20 को तहसील कार्यालय मुण्डवा मे गया तो उसे इस बारे मे बताया तब अपीलांट ने यही निवेदन किया कि उसका कोई नया कब्जा नही है। उसकी यह जमीन पीढियों पुरानी उसके परिवार की कब्जासुद उपयोग उपभोग व रहवास के काम आ रही है। चारो तरफ अन्य लोगो के मकानात बने हुए है। आबादी बसी हुई है। उसे गलत नोटिस दिया है। तब तहसील कार्यालय से यही कहा गया कि आज तो हस्ताक्षर कर दो आईन्दा खुलासा जवाब पेश कर देना कार्यवाही ड्रोप कर दी जावेगी व पेशी दिनांक 30.03.20 को नियत कर दी, उस दौरान देश व प्रदेश मे कोरोना वायरस के कारण लोक डाउन हो जाने व घरों से बाहर निकलने की मनाही होने से अपीलांट तहसील कार्यालय मे जाकर जवाब पेश नही कर सका व आगामी पेशी का कोई नोटिस वापस नही दिया गया व उसको सुने बिना पीठ पीछे दिनांक 3.6.20 को बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी पालना मे पटवारी ने आकर हाल ही मे बताया तब अपीलांट ने जाकर पता किया व नकलो का आवेदन दिनांक 14.7.20 को पेश करने पर दिनांक 15.7.20 को प्रमाणित प्रतियां मिलने से सर्वप्रथम इसकी जानकारी होने से उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की। जिससे न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को शहादत सुनवाई का अवसर नही दिया, विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जल्दबाजी मे निर्णय पारित किया है। जिससे निर्णय पारित करने मे कानूनी त्रुटि हुई है।

{2}(III)–प्रकरण हाजा से संबंधित भूमि खसरा नं. 342 रकबा 4.05 बीघा वाके मौजा ग्वालू तहसील नागौर पर अपीलांट के परिवार का पिछले 30–40 वर्षो से कब्जा उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक सभी की जानकारी मे निरंतर रहता चला आया है व उस समय अपीलांट के पिता ने मेहनत मजदूरी करके बडी राशि खर्च करके कृषि योग्य उपजाउ भूमि बनायी थी व काश्त करसण कर परिवार का जीवन यापन करते रहे।

अपर कलक्टर, नागौर

कालान्तर मे आज से करीब 10 वर्ष पूर्व अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया व वर्तमान मे अपीलांट परिवार सहित उक्त जायगा पर काबिज है व उपयोग उपभोग मे ले रहा है। जिसमे अपीलांट के परिवार का रहवास, पशुधन का चारा फूस व अन्य सामान आबादी के बीच मे आ चुकी है। चारो तरफ अन्य लोगो के मकानात बने हुए है। कई लोगो ने अपने नाम नियमन व पटटे भी करवा लिये। अपीलांट के परिवार वालो के नाम पुराना कब्जा होते हुए भी नियमन नही किया जा सका। लेकिन अन्य पडोसियों के भांति अपीलांट का भी पुराना कब्जा रहता चला आया है। जो नियमन योग्य था व है। इस पर हाल ही मे संवत 2076 का नया कब्जा सरासर गलत रूप से बताकर पटवारी ने मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। जिस पर नायब तहसीलदार ने अपने स्तर पर मौके की जांच किये बिना सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है। परिवार की मात्र 13 बीघा खातेदारी की जमीन है। जिसमे दो भाई व माता का हिस्सा है। इस प्रकार अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी मे आता है व पुराने कब्जा के नियमन बाबत समय समय पर जारी परिपत्रों की रोशनी मे अपीलांट नियमन का पात्र था व है। भूमि के चारो ओर आबादी है। अन्य लोगो के मकानात बने हुए है। उक्त भूमि कभी भी सरकारी उपयोग उपभोग की नही रही है। बावजूद इसके इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दरकिनार करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय मे पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया था, उक्त नोटिस मिलने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालयक के समक्ष संपूर्ण वास्तविक तथ्य प्रकट करते हुए स्पष्ट कर दिया था। इसके बावजूद उसे खुलासा जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर नही दिया। न पटवारी के बयान लेकर अपीलांट को जिरह का अवसर दिया व सरसरी तौर पर ही निर्णय पारित किया है। जबकि पटवारी नपे समूह विशेष के कहने से व दबाव प्रभाव मे आकर अपीलांट अकेले के विरूद्व मिथ्या रिपोर्ट पेश की है व चारो तरफ की व इस भूमि पर पुराने कब्जे की वास्तविक स्थिति तहसील मे प्रकट नही की है। जिससे अपीलांट के विरूद्व किसी तरह की कार्यवाही की जाना न्याय संगत नही होते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित कर बेदखली का आदेश दिये जाने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि इस प्रयोजनार्थ नही है। उससे बेदखल कर दिया तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी, अभी काश्त का खास मौसम है। अपीलांट काश्तकार आदमी है। ऐसी स्थिति मे व पुराने कब्जा आदि तथ्यो परिस्थितियों मे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे होने से निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ग्वालू में स्थित गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ग्वालू के खसरा नंबर 342 गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बारानी–2 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर